फर्द अहकाम

गोविन्दराम बनाम नेमी देवी व अन्य

न्यायालय

वाद संख्या 122/09

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31/01/18	व.प्र.उप0। वकील प्रतिवादी लिखित कथन हेतु समय चाहते है पुनः न्यायहित मे एक अन्तिम अवसर दिया जाता है आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से लिखित कथन पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश करने लिखित कथन दिनांक 05/3/18 को पेश हो।	
	05/3/18	व.प्र.उप0। वकील प्रतिवादी लिखित कथन हेतु समय चाहते है वकील प्रतिवादी की मौखिक वचन बद्धता के आधार पर पुनः न्यायहित मे अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते पेश करने लिखित कथन हेतु दिनांक 16/4/18 को पेश हो।	
	16/4/18	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 17/5/18 को पेश हो।	
	17-5-18	प्रसाइडिंग काफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यबाही हेतु दिनांक 21-6-18 को पेश हो।	
	21/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम [illegible] वकील वादी उप0। प्रकरण [illegible] तथा पत्रावली [illegible] गया। वादीगण [illegible] किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आ0मि0 किया गया। पत्रावली फैसले शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम हाथनोदा)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S)

उनवान

1. गोविन्दराम पुत्र स्व0 चन्दाराम
2. मालीराम पुत्र स्व0 चन्दाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

–वादीगण

बनाम

1. मिश्री देवी पत्नि स्व0 चन्दाराम (मृतक दौराने दावा)
2. गोठी देवी पुत्री स्व0 चन्दाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :–122 / 2009

वादी की ओर से वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.06.2018 को **सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S)**, सहायक कलक्टर, चौमूं के समक्ष पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन नियमन प्रतिबंधित भूमियों में होने से वादीगण को अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 21.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुश्री सीमा शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	[illegible]	[illegible] के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0.00	[illegible] स्टाम्प	1.00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		[illegible]लतनामा की फीस	
4. वकालतनामा फीस	2.00	साक्षियों [illegible]	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदे[illegible] की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		[illegible] की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	6.00	जोड़	1.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत हाथनोदा)
पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :–122/2009

उनवान

1. गोविन्दराम पुत्र स्व0 चन्दाराम
2. मालीराम पुत्र स्व0 चन्दाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

–वादीगण

बनाम

1. मिश्री देवी पत्नि स्व0 चन्दाराम (मृतक दौराने दावा)
2. गोठी देवी पुत्री स्व0 चन्दाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।

3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांकः–21.06.2018

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खसरा नं0 1485 रकबा 1.98 है0 जिसके गत खसरा नं0 545 थे स्थित है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाईचक गै0 मु0 नला के रुप में दर्ज है। उक्त आराजीयात के मध्य दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 1533 व वादीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि ख0नं. 1486 से सींव जोड़ है अर्थात् एक सीमा लगती है। जिसका रकबा लगभग 1.02 है0 है। विवादित आराजीयात ख0नं0 1485 के मध्य दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता स्व0 श्री चन्दाराम के समय से ही लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त हैं। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात की उत्तरी दक्षिणी सीमा वादीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 1433 तथा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की खातेदारी की भूमि ख.नं. 1533 से लगती हुई है जिस कारण वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही [illegible] काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 [illegible] हक पूर्वाधिकारी स्व0 श्री चन्दाराम द्वारा अपनी मेहनत से आंवला, लसुड़, बेर, [illegible] के वृक्ष लगाए तथा जिनसे प्राप्त होने वाले फलों का उपयोग उपभोग उनके द्वारा अपने जीवनकाल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

किया जाने लगा तथा वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा निरन्तर 40 वर्षों से भी अधिक समय से उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिनका उन्हें सुखाधिकार प्राप्त है तथा राज्य सरकार को इस बाबत लगान भी अपने हक पूर्वाधिकारी स्व0 श्री चन्दाराम के समय से ही अदा करते चले आ रहे हैं। स्व0 श्री चन्दाराम की मृत्यु के पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 विवादित आराजीयात पर काबिज होकर लगातार काश्त कर रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 विवादित आराजीयात के लगभग 1.02 हैक्टेयर पर अपने हक पूर्वाधिकारी स्व0 श्री चन्दाराम के समय से ही लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हें तथा राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 विवादित आराजीयात पर प्रतिकूल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर मालिक स्वामी हो गये हैं तथा स्वयं को विवादित आराजीयात का एडवर्स पजेशन के आधार पर मालिक स्वामी घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। जिन्हें की उक्त विवादित आराजीयात की लगभग 1.02 है0 का मालिक स्वामी घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण सं0 3 द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के निवेदन पर पहले तो विवादित आराजीयात के 1.02 है0 भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने हेतु आश्वस्त किया गया किन्तु दिनांक 25.03.2009 को अचानक प्रतिवादीगण सं0 3 उच्च राजनैतिक पहुंच के चलते अपने दल बल सहित विवादित आराजीयात पर आकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बेदखल करने लगे एवं विवादित आराजीयात पर लगे फलदार वृक्षों को काटने लगे जिसका विरोध वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा आस पास के कृषकों की सहायता से करने पर उस समय तो प्रतिवादीगण सं0 3 तथा उसके साथ आये उसके अधीनस्थ कर्मचारी मौके से चले गये तथा जाते–जाते वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को यह धमकी देकर गये कि वे विवादित आराजीयात पर पुनः आयेंगे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को विवादित आराजीयात से बेदखल करके रहेंगे। अतः वादीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0 3 डिक्री फरमाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को विवादित आराजीयात जिसका रकबा लगभग 1.02 है0 है का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक स्वामी काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। प्रतिवादी सं0 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात से जबरिया विधि विरुद्ध रुप से बिन विधिक प्रक्रिया [illegible] नहीं करे ना ही कब्जा [illegible] उपभोग में व्यवधान कारित करें ना ही वादीगण व प्रतिवा[illegible] करें ना ही विवादित आराजीयात पर लगे फलदार [illegible] उपरोक्त कृत्य प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सं0 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन के जरिये करवायें अर्थात विवादित आराजीयात की मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की ओर से जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया है कि वर्णित आराजी ख0नं0 1485 रकबा 1.98 है0 जिसके गत ख0नं0 545 थे तथा जिसके पास वादीगण एवं मिन जवाबदाता प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 1533 व वादीगण की स्वयं की भूमि ख0नं0 1486 है0 जो सींव जोड़ है राजस्व रिकॉर्ड का विषय है जो कि स्वीकार है तथा जवाब का मोहताज नहीं है। विवादग्रस्त सम्पति की मौका स्थिति अनुरुप सम्पूर्ण सही होने से स्वीकार है। जिस पर वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 संयुक्त रुप से काबिज हैं जिस पर वह अर्सा दराज से अपने हक पूर्वाधिकारी स्व0 श्री चन्दारामजी के समय से ही काबिज होकर विवादित आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं जिसमें लगाए गए फलदार वृक्षों का वादीगण एवं मिन जवाबदाता उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर वादीगण एवं मिन जवाबदाता प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को विवादित आराजीयात का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक स्वामी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जावे।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम हाथनोदा में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली व लिखित बहस का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में विवादित आराजीयात भूमि ख0नं0 1485 गै0मु0 नाला के रुप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस भूमि की वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन नियमन प्रतिबंधित भूमियों में होने से वादीगण को अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम हाथनोदा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:49:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner